

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-560/2022 (आई.ए.नं0-192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 08.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ लेना चाहेंगे। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-560/2022 (आई.ए.नं0-192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 का अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक -एच 79870/सी-2/एन.जी.टी. जनरल-7/22 दिनांक 17.08.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौदा को नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ.ए.-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा जांच कराये जाने हेतु संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)। संयुक्त जांच समिति द्वारा आवेदक के शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जनपद-महोबा के ग्राम-बिलबई के आराजी सं0-478/2 पर स्थित खनन स्थल की संयुक्त जांच/निरीक्षण खनन परियोजना संचालकों, आवेदक एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक-14.09.2022 एवं दिनांक- 19.09.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों की बिन्दुवार आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)

श्री राम मनोहर शिवहरे पुत्र श्री काशी प्रसाद शिवहरे, नि0 इन्द्रानगर, कबरई, महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-बिलबई की आराजी सं0-478/2, खण्ड सं0-01 नया, रकबा-2.024 हे0 क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-476 रकबा-0.198 हे0 व गाटा संख्या 477 रकबा 0.048 कुल रकबा 0.246 हे0 क्षेत्र में लगभग 14760 घनमीटर उपखनिज इमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट, खण्डा, गिट्टी, बोल्टर के अवैध खनन किये जाने के विरुद्ध रू0 11,80,800/- (रू0 ग्यारह लाख अस्सी हजार आठ सौ) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी प्रेषित किये जाने सम्बन्धी आख्या पत्र दिनांक 10.10.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित है। (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-3)।

श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री भागीरथ गुप्ता, नि0 राजेन्द्र नगर, कबरई, महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-बिलबई की आराजी सं0-478/2, खण्ड सं0-02 नया, रकबा-2.024 हे0 क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-473 रकबा-0.093 हे0 व गाटा संख्या 474 रकबा 0.060 कुल रकबा 0.153 हे0 क्षेत्र में लगभग 6120 घनमीटर

(2)

उपखनिज इमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट, खण्डा, गिट्टी, बोल्डर के अवैध खनन किये जाने के विरुद्ध रू0 4,89,600 /—(रू0 चार लाख नवासी हजार छः सौ) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी प्रेषित किये जाने सम्बन्धी आख्या पत्र दिनांक 10.10.2022 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित है। (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-4)।

आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय



(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा

पत्रांक- 983/0A-560/2022

दिनांक- 01. अगस्त, 2022

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-560/2022(आई ए0 नं0 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 के अंश निम्नवत है-

....." 3. Before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report in respect to aforesaid activities being conducted by Respondent No. 4 and therefore, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mahoba to visit the site and submit its factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and in the form of Image PDF."

List for further consideration on 19.10.2022

A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

अतएव माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-560/2022(आई ए0 नं0 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 के अनुपालन में जनपद-महोबा के ग्राम-बिलबई के आराजी सं0-478/2, खण्ड सं0-03, रकबा-1.12 हे0 हेतु श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे पुत्र श्री राम मनोहर शिवहरे को खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में जारी सहमति पत्र(एल0ओ0आई0) के क्रम में ओ0ए0 संख्या में उल्लिखित खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टोन (खण्डा बोल्टर, ब्लास्ट(गिट्टी)) खनन कार्य के विरुद्ध आवेदक श्री कमलापत द्वारा उल्लिखित शिकायत के दृष्टिगत निरीक्षण किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जनपद-महोबा की अध्यक्षता में निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है:-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा, जनपद-महोबा।
2. वरिष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग जनपद-महोबा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।

उपरोक्त समिति को आदेशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित शिकायत/आरोप की जांच कर संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या एवं तत्सम्बन्ध में जांचोपरान्त पाई गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जनपद-महोबा के माध्यम से ससमय अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या एवं कृत कार्यवाही को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ईमेल आईडी पर अपलोड किया जाये।

संलग्नक:-यथोपरि

(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा

पू0सं0 सम दिनांकित:

प्रतिलिपि :

1. पुलिस अधीक्षक, महोबा को समिति की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किये जाने के आशय से प्रेषित।
2. समिति के सदस्यों को अनुपालन हेतु।

(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी, महोबा

DIC-01

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-560/2022 (आई.ए.नं0- 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में दिनांक 08.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ0ए0-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त जांच/निरीक्षण आख्या।

1. पृष्ठभूमि

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक द्वारा दायर शिकायत “ प्रतिवादी खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्फोट कर पत्थर खनन का कार्य किये जाने से उत्पन्न पत्थर व धूल खेत में आने, फसल खराब होने, क्षेत्र में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलने तथा प्रतिवादी द्वारा खनन परियोजना के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने आदि” के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-560/2022(आई ए0 नं0 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2022 के मुख्य अंश निम्नवत है-

----- 3. Before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report in respect to aforesaid activities being conducted by Respondent No. 4 and therefore, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mahoba to visit the site and submit its factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and in the form of Image PDF.”

2. कार्यवाही

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-560/2022(आई ए0 नं0 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 08.08.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ0ए0-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा जांच/निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया गया :-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा, जनपद-महोबा।
2. वरिष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद-महोबा।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा।

3. खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी विवरण एवं खनन स्थल निरीक्षण सम्बन्धी विवरण।

जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ0ए0-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा प्रश्न खनन स्थल का निरीक्षण दिनांक-14.09.2022 एवं दिनांक- 19.09.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदक श्री कमलापत तथा खनन परियोजना के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे, श्री दिनेश चन्द गुप्ता एवं श्री राम मनोहर शिवहरे उपस्थित थे। क्रमवार विवरण/निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

| प्रतिवादी सं० | खनन परियोजना का नाम व पता | खनन परियोजना स्थल का पता | पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित जिओकोआर्डिनेट | खनन स्वीकृति विवरण |
|---------------|---|--|--|--|
| 4 | श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, जनपद-महोबा, उ०प्र० | गाटा सं०- 478/2 (खण्ड नं०-3 न्यू), ग्राम- बिलबई, तहसील व जनपद- महोबा, उ०प्र० | (A) 25° 20' 48.703" N, 79° 54' 46.817" E (B) 25° 20' 48.249" N, 79° 54' 53.279" E (B1) 25° 20' 47.580" N, 79° 54' 53.330" E (C) 25° 20' 45.190" N, 79° 54' 52.621" E (D) 25° 20' 45.791" N, 79° 54' 48.974" E (E) 25° 20' 47.353" N, 79° 54' 49.417" E | 1. लेटर ऑफ इन्टेन्ट पत्र दिनांक- 01.12.2020 द्वारा जारी। 2. लेटर ऑफ क्लस्टर पत्र दिनांक- 09.12.2020 द्वारा जारी। 3. माइनिंग प्लान पत्र दिनांक- 14.01.2021 द्वारा जारी। 4. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक- 25.11.2021 द्वारा जारी। 5. खनन क्षेत्रफल 1.012 हेक्टेयर एवं खनन क्षमता 62500 घनमी०/वर्ष। 6. खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 10.12.2021 7. खनन पट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत। 8. इकाई को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति (जल एवं वायु) दिनांक- 31.12.2026 तक की अवधि हेतु निर्गत है। |
| 5 | श्री दिनेश चन्द गुप्ता, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, | गाटा सं०- 478/2 (खण्ड नं०-2 न्यू), ग्राम- बिलबई, तहसील व | (A) 25° 20' 53.498" N, 79° 54' 47.156" E (B) 25° 20' 52.930" N, 79° 54' 52.340" E (B1) 25° 20' 50.910" N, 79° 54' 52.310" E (C) 25° 20' 48.249" N, 79° 54' 53.279" E (D) 25° 20' 48.703" N, 79° 54' 46.817" E (E) 25° 20' 50.794" N, 79° 54' 47.599" E (E1) 25° 20' 52.810" N, 79° 54' 47.150" E | 1. लेटर ऑफ इन्टेन्ट पत्र दिनांक- 01.12.2020 द्वारा जारी। 2. लेटर ऑफ क्लस्टर पत्र दिनांक- 09.12.2020 द्वारा जारी। 3. माइनिंग प्लान पत्र दिनांक- 14.01.2021 द्वारा जारी। 4. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक- 25.11.2021 द्वारा जारी। |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | जनपद-महोबा, उ०प्र० | जनपद- महोबा, उ०प्र० | | <p>5. खनन क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर एवं खनन क्षमता 1,25,500 घनमी०/वर्ष।</p> <p>6. खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 10.12.2021</p> <p>7. खनन पट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत।</p> <p>8. इकाई को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति (जल एवं वायु) दिनांक- 31.12.2026 तक की अवधि हेतु निर्गत है।</p> |
| 6 | श्री राम मनोहर शिवहरे, इन्दिरा नगर, कबरई तहसील व जनपद-महोबा, उ०प्र० | गाटा सं०-478/2 (खण्ड नं०-1 न्यू), ग्राम बिलबई, तहसील व जनपद-महोबा, उ०प्र० | <p>(A) 25° 20' 57.231" N, 79° 54' 46.469" E</p> <p>(B) 25° 20' 58.718" N, 79° 54' 48.092" E</p> <p>(B1) 25° 20' 58.160" N, 79° 54' 50.420" E</p> <p>(B2) 25° 20' 58.810" N, 79° 54' 50.860" E</p> <p>(C) 25° 20' 56.850" N, 79° 54' 51.584" E</p> <p>(D) 25° 20' 54.617" N, 79° 54' 51.368" E</p> <p>(E) 25° 20' 54.679" N, 79° 54' 52.261" E</p> <p>(F) 25° 20' 52.930" N, 79° 54' 52.340" E</p> <p>(G) 25° 20' 53.498" N, 79° 54' 47.156" E</p> <p>(H) 25° 20' 53.542" N, 79° 54' 47.354" E</p> | <p>1. लेटर ऑफ इन्टेन्ट पत्र दिनांक- 01.12.2020 द्वारा जारी।</p> <p>2. लेटर ऑफ क्लस्टर पत्र दिनांक- 09.12.2020 द्वारा जारी।</p> <p>3. माइनिंग प्लान पत्र दिनांक- 14.01.2021 द्वारा जारी।</p> <p>4. एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक- 25.11.2021 द्वारा जारी।</p> <p>5. खनन क्षेत्रफल 2.024 हेक्टेयर एवं खनन क्षमता 1,25,500 घनमी०/वर्ष।</p> <p>6. खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 10.12.2021</p> <p>7. खनन पट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत।</p> <p>8. इकाई को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति (जल एवं वायु) दिनांक- 31.12.2026 तक की अवधि हेतु निर्गत है।</p> |

- उक्त खनन स्थल गाटा सं०-478/2 ग्राम-बिलबई, तहसील व जनपद-महोबा पर प्रतिवादियों को खनन पट्टा स्वीकृत होने एवं संचालन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विगत 10 वर्ष (दिनांक- 05.11.2007 से दिनांक- 04.11.2017 तक) की अवधि में खनन पट्टा स्वीकृत था जिसमें खनन कार्य किया गया था। उक्त अवधि में खनन कार्य हेतु पट्टा क्रमशः श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, जनपद-महोबा, उ०प्र०, श्री दिनेश चन्द गुप्ता, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, जनपद-महोबा, उ०प्र० एवं श्री राम मनोहर शिवहरे, इन्दिरा नगर, कबरई तहसील व जनपद- महोबा, उ०प्र० को स्वीकृत था।
- उक्त खनन स्थल गाटा सं०-478/2 ग्राम-बिलबई, तहसील व जनपद-महोबा पर प्रतिवादियों क्रमशः श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, जनपद-महोबा, उ०प्र०, श्री दिनेश चन्द गुप्ता, ग्राम बिलबई, तहसील-सदर, जनपद-महोबा, उ०प्र० एवं श्री राम मनोहर शिवहरे, इन्दिरा नगर, कबरई तहसील व जनपद- महोबा, उ०प्र० को पुनः खनन पट्टा विलेख निष्पादन का दिनांक 10.12.2021 से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया है।

3. निरीक्षण के समय गाटा सं०-478/2, ग्राम-बिलबई, तहसील व जनपद-महोबा पर पत्थर का खनन कार्य किया हुआ पाया गया। खनन कार्य स्थल पर लगभग 260 मीटर x 145 मीटर के क्षेत्रफल में लगभग 30 मीटर की गहराई तक खनन कार्य किया हुआ पाया गया। तीनों खनन पट्टा में किया गया खनन कार्य एक दुसरे से जुड़ा हुआ पाया गया। खनन पट्टा स्थल पर फेंसिंग का कार्य किया हुआ पाया गया।
4. निरीक्षण के समय खनन स्थल पर खनन कार्य संचालित होता नहीं पाया गया। खनन परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बरसात होने के कारण खनन कार्य बंद है। बरसात के बाद खनन कार्य किया जाना है।
5. खनन स्थल पर खनन कार्य हेतु बेन्च की ऊंचाई एवं चौड़ाई मानकों के अनुरूप पायी गयी।
6. खनन कार्य ऊपर से नीचे की तरफ बेन्च बनाते हुए किया हुआ पाया गया।
7. खनन के दौरान जनित मलबा एवं टाप स्वायल खनन स्थल पर किनारे भण्डारित है।
8. फेश स्लोप नियमानुसार किया हुआ पाया गया।
9. फेश ड्रेसिंग का कार्य किया हुआ पाया गया।
10. खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन का कार्य बरसात के मौसम के बाद प्रारंभ किया जाना है। खनन स्थल पर खनन कार्य आगामी 10 वर्ष तक किये जाने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है। खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मलबा को पिट में भरकर नियमानुसार समतल किया जायेगा।
11. खनन स्थल पर कार्मिकों की सुरक्षा हेतु हेल्मेट, जूता, बेल्ट, फर्स्ट-एड बाक्श आदि उपलब्ध पाया गया। कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य के समय हेल्मेट, जूता, बेल्ट, फर्स्ट-एड बाक्श आदि लीज होल्डर द्वारा उपलब्ध कराया गया है।



12. खनन स्थल पर कार्मिको हेतु रेस्ट हाउस हेतु एक कमरा बना हुआ पाया गया।
13. खनन परियोजना प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कार्मिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण प्रत्येक छः माह में कराया जाता है।
14. खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन परियोजना में ब्लॉस्टिंग का कार्य निर्धारित समय में किया जा रहा है। विस्फोट किये जाने से पूर्व रेड फ्लैग लगाया जाता है तथा सॉयरन द्वारा चेतावनी दी जाती है।
15. खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्मिकों को ट्रेनिंग समय-समय पर दी जाती है।
16. खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉस्टिंग एवं वाहनों के आवागमन से उत्पन्न धूल आदि की रोकथाम हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉस्टिंग का कार्य दिन में निर्धारित समय दोपहर को 02-03 बजे के मध्य ही किया जाता है।
17. खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन चालकों को अनावश्यक प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किये जाने हेतु नियमित निर्देशित किया जाता है।
18. खनन कार्य दिन एवं रात में किया जाता है तथा ब्लॉस्टिंग कार्य केवल दिन में किया जाता है।
19. जल उपयोग हेतु प्राइवेट टैंकर्स का प्रयोग किया जाता है। खनन परियोजना प्रतिनिधि व खान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि खनन स्थल पर खनन कार्य आगामी 10 वर्ष तक किये जाने हेतु खनन पट्टा स्वीकृत है। खनन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् खुदी हुई पिट को वाटर रेजरवायर के रूप में नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा।
20. जिला कृषि अधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक- 26.09.2022 में उल्लिखित है कि " उक्त जॉच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने गाटा सं0 472 में फसल नहीं बोयी गयी एवं ग्राम प्रधान सहित गांव के अन्य लोगो द्वारा बताया गया कि गाटा सं0 472 में कभी खेती नहीं की गयी है। उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित है कि उक्त के अतिरिक्त ग्राम बिलवई के लेखपाल



श्री देवकी नन्दन अग्निहोत्री के द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा सं० 472 में परती पड़ी हुई है जबकि आस-पास के क्षेत्रों में कुछ कृषकों द्वारा फसलों की बुवाई की जा रही है एवं उनसे बात करने पर पाया गया कि खनन करने से कृषि फसलों में कोई नुकसान/क्षति नहीं है।" (जिला कृषि अधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक- 26.09.2022 की छायाप्रति संलग्नक- 1 के रूप में अवलोकनार्थ संलग्न है)।

21. मै० इन्वायरोटेक सर्विसेज लखनऊ द्वारा दिनांक- 05.09.2022 एवं दिनांक 06.09.2022 को की गयी परिवेशीय वायु गुणता मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पार्टिकुलेट मैटर मानकों के अनुरूप है। दिनांक- 05.09.2022 को की गयी परिवेशीय ध्वनि स्तर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप है। (परिवेशीय वायु गुणता मॉनिटरिंग रिपोर्ट एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर मॉनिटरिंग रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक- 2 के रूप में अवलोकनार्थ संलग्न है)।
22. खनन स्थल से उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्राम- बिलवई की आबादी लगभग 2.0 कि०मी० की दूरी पर तथा पूरब दिशा में ग्राम- काली पहाड़ी की आबादी लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। गांव के निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि खनन संचालन से गांव के आबादी निवासियों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है बल्कि खनन कार्य के चलने से ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है (छायाप्रति संलग्न- 3)।
23. खनन स्थल के निरीक्षण के समय आवेदक श्री कमलापत द्वारा अवगत कराया गया कि खनन संचालन से उत्पन्न धूल एवं पत्थर आवेदक के खेत में आता है। आवेदक श्री कमलापत का खेत (गाटा सं०-472, ग्राम-बिलवई, तहसील व जनपद-महोबा) जो कि खनन स्थल से सटा हुआ है, में कृषि कार्य होता नहीं पाया गया। गाटा सं०- 472, ग्राम- बिलवई, तहसील व जनपद-महोबा से सटे खेत गाटा सं०- 1170 ग्राम- बिलवई, तहसील व जनपद-महोबा में कृषि कार्य होता पाया गया। उक्त खेत में पत्थर के टुकड़े जगह-जगह पड़े हुए पाये गये।
आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि खनन का कार्य उसके खेत में किया जा रहा है, जिसके उपरांत खनन स्थल एवं आवेदक के खेत की पैमाईश राजस्व बिभाग से करायी गयी एवं शिकायतकर्ता का कथन आवेदक के खेत में खनन कार्य किया जाना सही नहीं पाया गया।
24. श्री राम मनोहर शिवहरे पुत्र श्री काशी प्रसाद शिवहरे नि० इन्द्रानगर, कबरई महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम बिलवई की आराजी सं० 478/2 खण्ड सं० 01 नया रकबा 2.024 हे० क्षेत्र की संयुक्त जॉच मानचित्रकार, खान निरीक्षक व ज्येष्ठ खान अधिकारी महोबा द्वारा दिनांक 14.09.2022 को की गयी जिसमें पाया



गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पश्चिम दिशा में लगे हुए गाटा सं० 476 रकबा 0.198 हे० व गाटा सं० 477 रकबा 0.048 हे० कुल रकबा 0.246 हे० क्षेत्र में लगभग 14,760 घन मी० उपखनिज गिट्टी/बोल्डर का अवैध खनन किया गया है। उक्त के कम में जिलाधिकारी महोबा द्वारा कार्यालय पत्र सं०-1641(i)/एम०एम०सी०-30/खनिज/2021-22 दिनांक 16.09.2022 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत की गयी है। (छायाप्रति संलग्न- 4)।

25. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री भागीरथ गुप्ता नि० राजेन्द्र नगर, कबरई जनपद महोबा के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम बिलवई की आराजी सं० 478/2 खण्ड सं० 02 नया रकबा 2.024 हे० क्षेत्र की संयुक्त जांच मानचित्रकार, खान निरीक्षक व ज्येष्ठ खान अधिकारी महोबा द्वारा दिनांक 14.09.2022 को की गयी जिसमें पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पश्चिम दिशा में लगे हुए गाटा सं० 473 रकबा 0.093 हे० व गाटा सं० 474 रकबा 0.060 हे० कुल रकबा 0.153 हे० क्षेत्र में लगभग 6,120 घन मी० उपखनिज गिट्टी/बोल्डर का अवैध खनन किया गया है। उक्त के कम में जिलाधिकारी महोबा द्वारा कार्यालय पत्र सं०-1641(ii)/एम०एम०सी०-30/खनिज/2021-22 दिनांक 16.09.2022 द्वारा पट्टाधारक को नोटिस निर्गत की गयी है। (छायाप्रति संलग्न- 5)।

जांच/निरीक्षण आख्या प्रस्तुत है।


08/10/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बोंदा



(शैलेन्द्र सिंह)

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
महोबा




(आर०एस० वर्मा)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
महोबा।

खनन पट्टा स्थल के निरीक्षण का फोटोग्राफ।



OR



OR

R




dr



dit

§




(राजेन्द्र प्रसाद)
08/10/2022
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा


(शैलेन्द्र सिंह)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
महोबा


(आर०एस० वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०),
महोबा।

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी
महोबा

संलग्न-1

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा।


पत्रांक- 225/4-कृषि/स्था०/कमलापत/एनजीटी/2022-23/दिनांक- 26 सितम्बर 2022

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०सं०-560/2022(आई.ए.नं०-192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 08.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०सं०-560/2022(आई.ए.नं०-192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 08.08.2022 के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक 977/ओ०ए०सं०-560/2022/कमलापत/एनजीटी/2022 दिनांक 26.08.2022 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद महोबा के ग्राम-बिलवई के आराजी सं०-478/2,खण्ड सं०-03 रकबा-1.12 हे० हेतु श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे पुत्र श्री राम मनोहर शिवहरे को खनन क्षेत्र के सम्बंध में जारी सहमति पत्र (एल०ओ०आई०) के क्रम में ओ०ए० संख्या पर उल्लिखित खनन स्थल पर किये जा रहे बिल्डिंग स्टोन (खण्डा बोल्टर,ब्लास्ट (गिट्टी)) खनन कार्य के विरुद्ध आवेदक श्री कमलापत, निवासी ग्राम-बिलवई, जनपद महोबा द्वारा उनके उल्लिखित गाटा सं०-472 में फसलें खराब सम्बंधी शिकायत/याचिका दायर की गयी है, के सम्बंध में ग्राम-बिलवई के आराजी सं०-478/2,खण्ड सं०-03 रकबा-1.12 में किये जा रहे खनन कार्य से शिकायतकर्ता एवं आस-पास के क्षेत्रों में फसलो पर पडने वाले प्रभाव का आंकलन कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.09.2022 को मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिलवई श्री इन्द्रपाल पुत्र स्व० श्री नृपत सिंह, श्री देवेन्द्र शिवहरे श्री राम मनोहर शिवहरे ग्राम-कबरई, श्री प्रशान्त कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ग्राम-मकरबई, श्री ज्ञानचन्द्र पुत्र श्री विन्दाप्रसाद, चन्दन सिंह पुत्र स्व० श्री सुधर सिंह, रसिक लाल पुत्र स्व० श्री भूरेलाल आदि बिलवई ग्राम के कृषकगणमान्य उपस्थित रहे।



उक्त जॉच में पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने गाटा सं० 472 में फसल नहीं बोयी गयी एवं ग्राम प्रधान सहित गाँव के अन्य लोगो द्वारा बताया गया कि गाटा सं० 472 में कभी खेती नहीं की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम बिलवई के लेखपाल श्री देवकीनन्दन अग्निहोत्री मो० 9935339595 के द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा सं० 472 में परती पडी हुई है (खसरा की छाया प्रति संलग्न) जबकि आस-पास के क्षेत्रों में कुछ कृषको द्वारा फसलो की बुवाई की जा रही है एवं उनसे बात करने पर पाया गया कि खनन करने से कृषि फसलो में कोई नुकसान/क्षति नहीं है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

रसिक लाल
(वी०पी०सिंह)

जिला कृषि अधिकारी
महोबा

पत्रांक / दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, महोबा।
2. जिलाधिकारी, महोदय महोबा।

जिला कृषि अधिकारी,
महोबा

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph : 9911516076 9811736063



TC-8771

TEST REPORT

TEST REPORT NO ETS/1066/09/2022 URLNO TC8771220009/1066F DATE OF REPORT 08 09 2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,
DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,
RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03
VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05 09 2022

Analysis Start Date : 07 09 2022

Analysis End Date : 08 09 2022

Duration Of Monitoring : 05 09 2022 To 06 09 2022

Time Of Monitoring : 02 00PM To 02 00PM (CO&O₃ for 1.0 Hrs)

Sample ID No : 1066

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : NEAR WORKER ROOM

Sampling Method : ETS/STP/AIR-01

Sampling Machine Placed At Height : 1.5 METER FROM GROUND LEVEL

Weather Condition : CLEAR Ambient Temperature: 34.0 °C

Wind Direction : E To W

Equipment Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) + Fine Particulate Sampler (PM_{2.5})


GPS Coordinate : 25°20'57.509" N and 79°54'53.885" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|--|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Particulate Matters,(PM ₁₀) | µg/m ³ | 74.6 | For 24 Hrs.=100 | IS 5182 (Part-23) |
| 2 | Particulate Matters,(PM _{2.5}) | µg/m ³ | 52.4 | For 24 Hrs.=60 | IS 5182 (Part-24) |
| 3 | Sulphur Dioxide, (SO ₂) | µg/m ³ | 14.8 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-2) |
| 4 | Nitrogen Dioxide,(NO ₂) | µg/m ³ | 12.4 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-6) |



Page 1 of 2

For Enviro-Tech Services


Pushkar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.



TEST REPORT

TEST REPORT NO. ETS/1066/09/2022

DATE OF REPORT 08/09/2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|----------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | Carbon Monoxide,(CO) | mg/m ³ | 0.42 | For 8 Hrs =2 / For 1 Hrs =4 | IS 5182 : Part 10 |

*****End of Test Report*****



Page 2 of 2

For Enviro-Tech Services


Pushkar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website www.etslab.in | Ph: 9911516076, 9811736063



TC-8771

TEST REPORT

TEST REPORT NO ETS/1067/09/2022 URLNO TC87712200001067F DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,
DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,
RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03
VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 07.09.2022

Analysis End Date : 08.09.2022

Duration Of Monitoring : 05.09.2022 To 06.09.2022

Time Of Monitoring : 02.15PM To 02.15PM (CO&O₃ for 1.0 Hrs.)

Sample ID No : 1067

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : NEAR BILBAI

Sampling Method : ETS/STP/AIR-01

Sampling Machine Placed At Height : 1.5 METER FROM GROUND LEVEL

Weather Condition : CLEAR Ambient Temperature: 34.0 °C

Wind Direction : E To W

Equipment Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) + Fine Particulate Sampler (PM_{2.5})


GPS Coordinate : 25°20'45.629" N and 79°54'48.560" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|--|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Particulate Matters,(PM ₁₀) | µg/m ³ | 71.8 | For 24 Hrs.=100 | IS 5182 (Part-23) |
| 2 | Particulate Matters,(PM _{2.5}) | µg/m ³ | 49.5 | For 24 Hrs.=60 | IS 5182 (Part-24) |
| 3 | Sulphur Dioxide, (SO ₂) | µg/m ³ | 11.4 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-2) |
| 4 | Nitrogen Dioxide,(NO ₂) | µg/m ³ | 10.7 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-6) |



Page 1 of 2

For Enviro-Tech Services


Pushkar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of law without prior written permission of the laboratory.



TEST REPORT

TEST REPORT NO. ETS/1067/09/2022

DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|----------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | Carbon Monoxide,(CO) | mg/m ³ | 0.46 | For 8 Hrs.=2 / For 1 Hrs.=4 | IS 5182 : Part 10 |

*****End of Test Report*****



Page 2 of 2

For Enviro-Tech Services


Pankar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph 9911516076, 9811736063



TEST REPORT

TEST REPORT NO: ETS/1068/09/2022 URLNO TC87712200001068F DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,
DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,
RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03
VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 07.09.2022

Analysis End Date : 08.09.2022

Duration Of Monitoring : 05.09.2022 To 06.09.2022

Time Of Monitoring : 02.15PM To 02.15PM (CO&O₃ for 1.0 Hrs.)

Sample ID No : 1068

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : EAST DIRECTION OF MINES

Sampling Method : ETS/STP/AIR-01

Sampling Machine Placed At Height : 1.5 METER FROM GROUND LEVEL

Weather Condition : CLEAR **Ambient Temperature:** 34.0 °C

Wind Direction : E To W

Equipment Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) + Fine Particulate Sampler (PM_{2.5})


Coordinate : 25°20'48.6096" N and 79°54'53.996" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|--|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Particulate Matters,(PM ₁₀) | µg/m ³ | 79.70 | For 24 Hrs.=100 | IS 5182 (Part-23) |
| 2 | Particulate Matters,(PM _{2.5}) | µg/m ³ | 54.10 | For 24 Hrs.=60 | IS 5182 (Part-24) |
| 3 | Sulphur Dioxide, (SO ₂) | µg/m ³ | 9.9 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-2) |
| 4 | Nitrogen Dioxide,(NO ₂) | µg/m ³ | 12.6 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-6) |



Page 1 of 2

For Enviro-Tech Services


Ravi Kant Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019



Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of law without prior written permission of the laboratory.

TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1068/09/2022

DATE OF REPORT:

08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|----------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 5 | Carbon Monoxide.(CO) | mg/m ³ | 0.50 | For 8 Hrs.=2 / For 1 Hrs.=4 | IS 5182 : Part 10 |

*****End of Test Report*****



Page 2 of 2

For Enviro-Tech Services


Poojkar Mittal
Lab in-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph : 9911516076, 9811736063



TC-8771

TEST REPORT

TEST REPORT NO ETS/1069/09/2022 URLNO TC87712200001069F DATE OF REPORT 08/09/2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,
DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,
RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03
VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 07.09.2022

Analysis End Date : 08.09.2022

Duration Of Monitoring : 05.09.2022 To 06.09.2022

Time Of Monitoring : 02.15PM To 02.15PM (CO&O₃ for 1.0 Hrs.)

Sample ID No : 1068

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : WEST DIRECTION OF MINES

Sampling Method : ETS/STP/AIR-01

Sampling Machine Placed At Height : 1.5 METER FROM GROUND LEVEL

Weather Condition : CLEAR Ambient Temperature: 34.0 °C

Wind Direction : E To W

Equipment Used : Respirable Dust Sampler (PM₁₀) + Fine Particulate Sampler (PM_{2.5})

Coordinate : 25°20'49.1748" N and 79°54'47.5380" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|---|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Particulate Matters, (PM ₁₀) | µg/m ³ | 77.50 | For 24 Hrs.=100 | IS 5182 (Part-23) |
| 2 | Particulate Matters, (PM _{2.5}) | µg/m ³ | 52.60 | For 24 Hrs.=60 | IS 5182 (Part-24) |
| 3 | Sulphur Dioxide, (SO ₂) | µg/m ³ | 8.5 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-2) |
| 4 | Nitrogen Dioxide, (NO ₂) | µg/m ³ | 12.90 | For 24 Hrs.=80 | IS: 5182 (Part-6) |



Page 1 of 2

For Enviro-Tech Services


Pushkar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01/04/2019, Amd. No. 04 Date 01/04/2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.



TEST REPORT

TEST REPORT NO: ETS/1069/09/2022

DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 5 | Carbon Monoxide.(CO) | mg/m ³ | 0.48 | For 8 Hrs.=2 / For 1 Hrs.=4 | IS 5182 : Part 10 |

*****End of Test Report*****

For Enviro-Tech Services


Pushkar Mittal
Lab In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Page 2 of 2



Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04.2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph : 9911516076, 9811736063



TC-8771

TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1080-25/09/2022

URLNO TC877122000108025F

DATE OF REPORT: 08 09 2022

AMBIENT NOISE MONITORING REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01, DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02, RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03 VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05 09 2022

Analysis Start Date : 05 09 2022

Analysis End Date : 06 09 2022

Duration Of Monitoring : 24 Hrs

Sample ID No : 1080-25

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : Near Worker Room

Sampling Method : ETS/STP/NOISE-01

GPS Coordinate : 25°20'57.509" N and 79°54'53.885" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Day Time Noise Level | Leq .dB (A) | 70.2 | 75 | IS: 9989 |
| 2 | Night Time Noise Level | Leq .dB (A) | 62.5 | 70 | IS: 9989 |

Remarks: Day time is reckoned in between 06.00 A.M. and 10.00 P.M.
Night time is reckoned in between 10.00 P.M. and 06.00 A.M.

*****End of Test Report*****



CHECKED BY
SHRADHA GUPTA

Page 1 of 1

For Enviro-Tech Services

Pushkar Mittal
Lab In-charge

AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No 05, Date 01 04 2019, Amd No 04 Date 01 04 2019



Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph. : 9911516076, 9811736063



TC-8771

TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1080-26/09/2022 URLNO TC877122000108026F DATE OF REPORT: 08 09 2022

AMBIENT NOISE MONITORING REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,
DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,
RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03
VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P..

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 05.09.2022

Analysis End Date : 06.09.2022

Duration Of Monitoring : 24 Hrs

Sample ID No : 1080-26

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : Near Bilbai

Sampling Method : ETS/STP/NOISE-01

GPS Coordinate : 25°20'45.629" N and 79°54'48.560" E

| S. N o. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|---------|------------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Day Time Noise Level | Leq dB (A) | 62.4 | 75 | IS: 9989 |
| 2 | Night Time Noise Level | Leq dB (A) | 51.2 | 70 | IS: 9989 |

Remarks: Day time is reckoned in between 06.00 A.M. and 10.00 P.M.
Night time is reckoned in between 10.00 P.M. and 06.00 A.M.

*****End of Test Report*****


CHECKED BY
SHRADDHA GUPTA

Page 1 of 1

ENVIRO-TECH SERVICES


Pushkar Mittal
In-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.



TEST REPORT

TEST REPORT NO ETS/1080-27/09/2022 URLNO TC877122000108027F DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT NOISE MONITORING REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01,DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02,RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03 VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 05.09.2022

Analysis End Date : 06.09.2022

Duration Of Monitoring : 24Hrs

Sample ID No : 1080-27

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : East Direction of Mines

Sampling Method : ETS/STP/Noise-01

Coordinate : 25°20'48.6096" N and 79°54'53.996" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|------------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Day Time Noise Level | Leq :dB (A) | 69.7 | 75 | IS: 9989 |
| 2 | Night Time Noise Level | Leq :dB (A) | 54.5 | 70 | IS: 9989 |

Remarks: Day time is reckoned in between 06.00 A.M. and 10.00 P.M.

Night time is reckoned in between 10.00 P.M. and 06.00 A.M.

*****End of Test Report*****



Page 1 of 1

For Enviro-Tech Services

Pooja Mittal
Lab in-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04



Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

ENVIRO-TECH SERVICES

An Analytical Laboratory

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph.: 9911516076, 9811736063



TEST REPORT

TEST REPORT NO.: ETS/1080-28/09/2022 URLNO TC877122000108028F DATE OF REPORT: 08.09.2022

AMBIENT AIR MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address of Customer : RAM MANOHAR SHIVHARE 478/2-KH-01, DINESH CHANDRA GUPTA 478/2 -KH-02, RAJENDRA KUMAR SHIVHARE 478/2-KH-03 VILLAGE- BILBAI, DISTRICT- MAHOBA, U.P.

Date of Monitoring : 05.09.2022

Analysis Start Date : 05.09.2022

Analysis End Date : 06.09.2022

Duration Of Monitoring : 24Hrs

Sample ID No : 1080-28

Sampling Done By : ETS STAFF

Sampling Location : West Direction of Mines

Sampling Method : ETS/STP/NOISE-01

Coordinate : 25°20'49.1748" N and 79°54'47.5380" E

| S. No. | Test Parameter | Unit | Result | Specification/Limit (As per CPCB) | Test Method |
|--------|------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Day Time Noise Level | Leq : dB (A) | 68.4 | 75 | IS: 9989 |
| 2 | Night Time Noise Level | Leq : dB (A) | 52.6 | 70 | IS: 9989 |

Remarks: Day time is reckoned in between 06.00 A.M. and 10.00 P.M.

Night time is reckoned in between 10.00 P.M. and 06.00 A.M.

*****End of Test Report*****



Page 1 of 1

For Enviro-Tech Services

Pushkar Mittal
Lab in-charge
AUTHORIZED SIGNATORY

Format No ETS/LAB/TR-01, Issue No. 05, Date 01.04.2019, Amd. No. 04 Date 01.04

Note:-

1. Test reports without ETS LAB HOLOGRAM are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम विलवई की गाटा सं0-478/2 खण्ड-01, 02 व 03 ग्राम समाज में खनिज क्षेत्र के रूप में दर्ज है। जिनके पट्टाधारक क्रमशः श्री रामनोहर शिवहरे (खण्ड-01), श्री दिनेशचन्द्र गुप्ता (खण्ड-02) एवं श्री राजेन्द्र कुमार शिवहरे (खण्ड-03) है। उपरोक्त खनन क्षेत्र से आवादी की दूरी 02 किमी0 है उपरोक्त के खनन कार्य में ब्लास्टिंग के दौरान कोई भी वोल्डर किसी भी कृषि भूमि में नहीं जाता है। उक्त खनन क्षेत्र में खनन कार्य किए जाने से ग्रामवासियों के ऊपर ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एवं खनन कार्य के चलने से ग्रामवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और ग्राम के विकास में भी सहायता मिल रही है।

ममना देवी

डी.एम.ए.
पिनारा

A. सम्पल देवी

पट्टाधारक

श्री. उकाशरानी

प्रताप

श्री. न. न. न.

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं०-1641(i) एम०एम०सी०-30 / खनिज / 2021-22

दिनांक 16/09/2022

विषय:- ग्राम बिलवई के गाटा सं० 478/2 में उपखनिज ईमारती पत्थर (ख०गि०बो०) के अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में।

नोटिस

श्री राम मनोहर शिवहरे

पुत्र श्री काशी प्रसाद शिवहरे

निवासी-इन्द्रानगर कबरई, जनपद-महोबा

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 12.12.2017 एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से आपके पक्ष में जनपद-महोबा की तहसील सदर के ग्राम-बिलवई की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-01 नया, रकबा 2.024 हे० क्षेत्र में उपखनिज ईमारती पत्थर (खण्डा, गिट्टी, बोल्टर) का खनन पट्टा दिनांक 10.12.2021 से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

मानचित्रकार महोबा, खान निरीक्षक महोबा व ज्येष्ठ खान अधिकारी, महोबा की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 14.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पश्चिम दिशा में लगे हुए गाटा संख्या 476 रकबा 0.198 हे० व गाटा संख्या 477 रकबा 0.048 हे० कुल रकबा 0.246 हे० क्षेत्र में लगभग 14,760 घनमीटर उपखनिज ईमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट खण्डा, गिट्टी, बोल्टर का अवैध खनन किया गया है।

आपका उक्त कृत्य पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट गिट्टी/बोल्टर की रायल्टी दर रू० 160/- प्रति घन मी० निर्धारित है। इस प्रकार 14,760 घन मी० गिट्टी/बोल्टर के सापेक्ष निर्धारित रायल्टी रू० 23,61,600/- तथा खनिज मूल्य रू० 1,18,08,000/- एवं शास्ति की धनराशि रू० 5,00,000/- कुल रू० 1,46,69,600/- (रूपया एक करोड छियालिस लाख उन्हत्तर हजार छः सौ मात्र) की देयता आप पर बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अपना साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि उक्त कृत्य आप द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया है। यदि नियत अवधि में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(मनोज कुमार)

जिलाधिकारी,

महोबा।

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

पत्र सं०-164xii/एम०एम०सी०-30/खनिज/2021-22

दिनांक 16/09/2022

विषय:- ग्राम बिलवई के गाटा सं० 478/2 में उपखनिज ईमारती पत्थर (ख०गि०बो०) के अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में।

नोटिस

श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता

पुत्र श्री भागीरथ गुप्ता

नि० राजेन्द्र नगर, कबरई, जनपद महोबा

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 12.12.2017 एवं उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से आपके पक्ष में जनपद-महोबा की तहसील सदर के ग्राम-बिलवई की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-02 नया, रकबा 2.024 हे० क्षेत्र में उपखनिज ईमारती पत्थर (खण्डा, गिट्टी, बोल्डर) का खनन पट्टा दिनांक 10.12.2021 से 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है।

मानचित्रकार महोबा, खान निरीक्षक महोबा व ज्येष्ठ खान अधिकारी, महोबा की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 14.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि आप द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पश्चिम दिशा में लगे हुए गाटा संख्या 473 रकबा 0.093 हे० व गाटा संख्या 474, रकबा 0.060 हे० कुल रकबा 0.153 हे० क्षेत्र में 6,120 घनमीटर उपखनिज ईमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट खण्डा, गिट्टी, बोल्डर का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

आपका उक्त कृत्य पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21, के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमावली-2021 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट गिट्टी/बोल्डर की रायल्टी दर रू० 160/- प्रति घन मी० निर्धारित है। इस प्रकार 6,120 घन मी० गिट्टी/बोल्डर के सापेक्ष निर्धारित रायल्टी रू० 9,79,200/- तथा खनिज मूल्य रू० 48,96,000/- एवं शास्ति की धनराशि रू० 5,00,000/- कुल रू० 63,75,200/- (रूपया तिरसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ मात्र) की देयता आप पर बनती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्त के 30 दिवस के अन्दर अपना साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि उक्त कृत्य आप द्वारा किन परिस्थितियों में किया गया है। यदि नियत अवधि में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तदनुसार आपके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।


(मनोज कुमार)
जिलाधिकारी,
महोबा।



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बॉदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 1118 /ओ०ए० सं०-560/2022/ कमलापत /एनजीटी/2022

दिनांक : 10 / 10 / 2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री राम मनोहर शिवहरे पुत्र श्री काशी प्रसाद शिवहरे, नि० इन्द्रानगर, कबरई, महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-बिलबई की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-01 नया, रकबा-2.024 हे० क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-476 रकबा-0.198 हे० व गाटा संख्या 477 रकबा 0.048 कुल रकबा 0.246 हे० क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-560/2022 (आई.ए.नं०- 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 08.08.2022 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है-

...." 3. Before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report in respect to aforesaid activities being conducted by Respondent No. 4 and therefore, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mahoba to visit the site and submit its factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and in the form of Image PDF."

List for further consideration on 19.10.2022

A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक -एच 79870/सी-2/एन.जी.टी. जनरल-7/22 दिनांक 17.08.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ.ए.-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा जांच कराये जाने हेतु संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)। संयुक्त जांच समिति द्वारा आवेदक के शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जनपद-महोबा के ग्राम-बिलबई के आराजी सं०-478/2 पर स्थित खनन स्थल की संयुक्त जांच/निरीक्षण खनन परियोजना संचालकों, आवेदक एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक-14.09.2022 एवं दिनांक- 19.09.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों की बिन्दुवार आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 1641(ii)/एम.एम.सी.-30/खनिज/2021-22 दिनांक 16.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित है कि श्री राम मनोहर शिवहरे पुत्र श्री काशी प्रसाद शिवहरे, नि० इन्द्रानगर, कबरई, महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित

ग्राम-बिलबई की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-01 नया, रकबा-2.024 हे० क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-476 रकबा-0.198 हे० व गाटा संख्या 477 रकबा 0.048 कुल रकबा 0.246 हे० क्षेत्र में लगभग 14760 घनमीटर उपखनिज इमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट, खण्डा, गिट्टी, बोल्टर का अवैध खनन किया गया है। तत्कम में खनिज मूल्य रू० 800/- प्रतिघनमीटर की दर से रू० 1,18,08,000/- (रू० एक करोड अठारह लाख आठ हजार) निर्धारित है।

There is no separate formula/ method available for the calculation of environment compensation further access stone quarry.

The mining lease is to comply with environment laws is accountable for damaged to air, water, soil and eco system. Reference is made to MC Mehta vs. UOI and Ors¹. Adverse consequences of mining are noticed enter alia in Deepak Kumar vs State of Hariyana². State of NCT of Delhi vs Sanjay³ and Goa foundation vs UOI⁴. In Samaj Parivartana Samudaya and Ors. Vs State of Karnatka and Ors.⁵ It was held that compensation for damaged of environment on polluter pays principal can be up to 10% of value of mine material so as to restore the environment and ensure compliance norms.

Total mineral Value = Rs. 11808000/-

Environmental Compensation amount = 10% of mineral value

= 10/100X11808000.00

= Rs. 1180800/-

खनन पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करना पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। तत्कम में खनन पट्टाधारक को रू० 11,80,800/- (रू० ग्यारह लाख अस्सी हजार आठ सौ) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय




(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)





क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बॉदा उ०प्र०-210001

संदर्भ संख्या : 1119/ओ०ए० सं०-560/2022/कमलापत/एनजीटी/2022

दिनांक : 10/10/2022

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-5)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री भागीरथ गुप्ता, नि० राजेन्द्र नगर, कबरई, महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-बिलबई की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-02 नया, रकबा-2.024 हे० क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-473 रकबा-0.093 हे० व गाटा संख्या 474 रकबा 0.060 कुल रकबा 0.153 हे० क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-560/2022 (आई.ए.नं०- 192/2022) कमलापत बनाम स्टेट आफ उ०प्र० व अन्य में दिनांक 08.08.2022 को पारित आदेश के अंश निम्नवत है-

...." 3. Before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report in respect to aforesaid activities being conducted by Respondent No. 4 and therefore, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Mahoba to visit the site and submit its factual report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and in the form of Image PDF."

List for further consideration on 19.10.2022

A copy of this order be forwarded to State PCB and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने हेतु सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक -एच 79870/सी-2/एन.जी.टी. जनरल-7/22 दिनांक 17.08.2022 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को नामित किया गया है, जिसके अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 983/ओ.ए.-560/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा जांच कराये जाने हेतु संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया (छायाप्रति संलग्न, संलग्नक-1)। संयुक्त जांच समिति द्वारा आवेदक के शिकायती पत्र में अंकित बिन्दुओं पर जनपद-महोबा के ग्राम-बिलबई के आराजी सं०-478/2 पर स्थित खनन स्थल की संयुक्त जांच/निरीक्षण खनन परियोजना संचालकों, आवेदक एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक-14.09.2022 एवं दिनांक- 19.09.2022 को किया गया। संयुक्त जांच/निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों की बिन्दुवार आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 1641(ii)/एम.एम.सी.-30/खनिज/2021-22 दिनांक 16.09.2022(छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित है कि श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री भागीरथ गुप्ता, नि० राजेन्द्र नगर, कबरई, महोबा द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र जनपद-महोबा की तहसील सदर स्थित ग्राम-बिलबई

(2)

की आराजी सं०-478/2, खण्ड सं०-02 नया, रकबा-2.024 हे० क्षेत्र के बाहर गाटा संख्या-473 रकबा- 0.093 हे० व गाटा संख्या 474 रकबा 0.060 कुल रकबा 0.153 हे० क्षेत्र में लगभग 6120 घनमीटर उपखनिज इमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट, खण्डा, गिट्टी, बोल्टर का अवैध खनन किया गया है। तत्कम में खनिज मूल्य रू० 800/- प्रतिघनमीटर की दर से रू० 48,96,000/- (रू० अडतालिस लाख छियानबे हजार) निर्धारित है।

There is no separate formula/ method available for the calculation of environment compensation further access stone quarry.

The mining lease is to comply with environment laws is accountable for damaged to air, water, soil and eco system. Reference is made to MC Mehta vs. UOI and Ors¹. Adverse consequences of mining are noticed enter alia in Deepak Kumar vs State of Hariyana². State of NCT of Delhi vs Sanjay³ and Goa foundation vs UOI⁴. In Samaj Parivartana Samudaya and Ors. Vs State of Karnatka and Ors.⁵ It was held that compensation for damaged of environment on polluter pays principal can be up to 10% of value of mine material so as to restore the environment and ensure compliance norms.

Total mineral Value = Rs. 4896000/-

Environmental Compensation amount = 10% of mineral value

= 10/100X4896000.00

= Rs. 489600/-

खनन पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करना पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। तत्कम में खनन पट्टाधारक को रू० 4,89,600/- (रू०-चार लाख नवासी हजार छः सौ) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(राजेन्द्र प्रसाद)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

